"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 27 मई 2011—ज्येष्ठ 6, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 23 मई 2011

क्रमांक एफ-2/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/10/706.—दिनांक 16 मई, 2011 को नगर पालिका परिषद्, मुंगेली, जिला-बिलासपुर, छ. ग. के 02 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-2/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. राजमनसिंह, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिका परिषद् मुंगेली, जिला-बिलासपुर, छ.ग.

2. हरिकपूर सिंह, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिका परिषद् मुंगेली, जिला-बिलासपुर, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 16 मई, 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्बाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिका परिषद् मुंगेली के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पालिका परिषद् मुंगेली के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों राजमन सिंह एवं हरिकपूर सिंह द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की आखिरी दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त 2 अभ्यर्थियों राजमन सिंह एवं हरिकपूर सिंह को दिनांक 8 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों राजमन सिंह को दिनांक 17 मार्च 2010 को एवं हरिकपूर सिंह को दिनांक 19 मार्च 2010 को तामील किया गया है. राजमन सिंह द्वारा अपना जवाब दिनांक 22 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया. अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह द्वारा कारण बताओ सूचना तामील होने के उपरान्त भी आयोग में जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण इन्हें अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना माना जाकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया.

4. अभ्यर्थी राजमन सिंह ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि वे दिनांक 27 जनवरी 2010 तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहते थे किन्तु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दो दिन विलम्ब से दिनांक 29 जनवरी 2010 को प्रस्तुत कर पाये. अपने जवाब के साथ चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने उपरोक्त अभ्यर्थी राजमन सिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जवाब के सन्दर्भ में अपने ज्ञापन क्रमांक/न.पा.आ.न./निर्वा. व्यय लेखा/2010/859, दिनांक 11 जून 2010 में अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी राजमन सिंह द्वारा प्रावधानों की जानकारी होने के उपरान्त भी निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से दिनांक 29 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया है. इसका कारण स्वास्थ्य खराब होना बताया गया है किन्तु अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से समयावधि में प्रस्तुत कर सकते थे. अतएव इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है. अभ्यर्थी राजमन सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में उन्हें सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 24 सितम्बर 2010 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया. इन्हें दिनांक 24 सितम्बर 2010 को अपने निर्वाचन अभिकर्ता दिनेश शुक्ला के साथ उपस्थित होने पर सुना गया. उनके द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया. लिखित कथन में यह उल्लेख किया गया है कि स्वयं की अस्वस्थता के कारण उनके जूनियर अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर में प्रस्तुत किया गया था लेकिन उन्हें पावती दिनांक 29 जनवरी 2010 को दी गई. उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उनके चुनाव अभिकर्ता दिनेश शुक्ला की पत्नि का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं कर पाये. अपने कथन की पुष्टि में दिनेश शुक्ला के द्वारा निष्पादित शपथ पत्र, डॉ. सुजाता श्रीवास्तव का चिकित्सा प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के स्वयं दिनांक 25 से 28 जनवरी 2010 तक के डॉ. संजय अग्रवाल द्वारा दिया गया अस्वस्थता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया. अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता ने अपने शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि राजमन सिंह के स्वयं जाकर दिनांक 29 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किया.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 6 अक्टूबर 2010 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पुनः जानकारी दी गई कि अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया है. यद्यपि अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह के विरुद्ध दिनांक 27 अगस्त 2010 को एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय ले लिया गया था तथापि न्यायहित में अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह को विलम्ब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2010 को जारी कर पुनः जवाब चाहा गया. कारण बताओ सूचना हरिकपूर सिंह को दिनांक 10 नवम्बर 2010 को तामील हुई. तदनुसार अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2010 को फैक्स से भेजे गये अपने जवाब में उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा दिनांक 24 दिसम्बर 2010 को निर्वाचन अधिकारी मुंगेली के कार्यालय में जमा किया था. निर्वाचन की तारीख के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया था जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर भेजने में विलम्ब किया गया. समाचार पत्रों से नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने वाले निरर्हित अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी होने पर जिला निर्वाचन कार्यालय में सम्पर्क करने के उपरान्त उनको निर्वाचन व्यय लेखा में त्रुटि होने की जानकारी प्राप्त हुई. निर्वाचन व्यय लेखा में त्रुटि सुधार कर निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने के कारण विलम्ब हुआ. अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने अपने ज्ञापन क्रमांक 73/स्था.निर्वा./2011 दिनांक 26 फरवरी 2011 द्वारा अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह प्रस्तुत जवाब अनुसार यदि प्रोफार्मा 'क' में प्रतिदिन का लेखा जांच हेतु रिटर्निंग ऑफिसर मुंगेली को प्रस्तुत किया गया था तो भी उन्हें जांच उपरान्त निर्वाचन व्ययों का सार विवरण प्रोफार्मा 'ख' एवं प्रोफार्मा 'ग' में शपथ पत्र सहित जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर में निर्धारित तिथि के भीतर स्वतः अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिये था. परंतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करते हुए उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अत्यधिक विलम्ब से दिनांक 4 अक्टूबर 2010 को प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह का यह कथन सही नहीं है कि निर्वाचन कार्यालय द्वारा व्यय लेखा में त्रुटि सुधार कराये जाने के कारण विलम्ब हुआ है. अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक 19 जनवरी 2011 को सुना गया तथा शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. अभ्यर्थी हरिकपूर ने अपने कथन में स्वीकार किया कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा तहसील कार्यालय मुंगेली के कैवर्त बाबू के पास जमा किया गया था. निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध निरर्हता की कार्यवाही संबंधी समाचार पत्रों से जानकारी होने पर निर्वाचन व्यय लेखा तहसील कार्यालय से प्राप्त कर निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर से त्रुटि सुधार कर जमा करने हेतु निर्देश मिलने पर त्रुटि सुधार कर दिनांक 4 अक्टूबर 2010 को जमा कर दिया.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों राजमन सिंह एवं हरिकपूर सिंह ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है.

7. अभ्यर्थी राजमन सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखरी तारीख 27 जनवरी 2010 के पश्चात् करीब दो दिन विलम्ब से दिनांक 29 जनवरी 2010 को उक्त निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया है. निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने का कारण स्वयं तथा निर्वाचन अभिकर्ता की पत्नि की अस्वस्थता बताया है. चिकित्सक के प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी राजमन सिंह दिनांक 25 से 28 जनवरी 2010 तक तथा निर्वाचन अभिकर्ता की पत्नि श्रीमति सुनीता शुक्ला 24 जनवरी 2010

से अस्वस्थ रहे. जबकि निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् 27 जनवरी 2010 तक निर्वाचन व्यय लेखा विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने के लिये अभ्यर्थी के पास पर्याप्त समय था. इसके अलावा अभ्यर्थी ने अपने लिखित कथन दिनांक 24 सितम्बर 2010 में यह उल्लेख किया है कि उनके जूनियर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन कार्यालय में जमा किया गया जिसकी पावती दिनांक 29 जनवरी 2010 को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दी गई. अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता दिनेश शुक्ला ने अपने शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी राजमन सिंह के साथ जाकर दिनांक 29 जनवरी 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया था. इस प्रकार अभ्यर्थी के लिखित कथन दिनांक 24 सितम्बर 2010 तथा अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के शपथ पत्र में समानता नहीं है. अभ्यर्थी राजमन सिंह ने अपने लिखित जवाब दिनांक 22 मार्च 2010 में भी दिनांक 29 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने का उल्लेख किया है. अतएव दिनांक 27 जनवरी 2010 को अभ्यर्थी राजमन सिंह द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.) को प्रस्तुत करना प्रमाणित नहीं होता है. फलस्वरूप इनका जवाब समाधानकारक नहीं माना जा सकता. इसी प्रकार अभ्यर्थी हरिकपूर सिंह के जवाब तथा शपथपूर्वक कथन के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि हरिकपूर सिंह द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखरी तारीख 27 जनवरी 2010 के पश्चात् विलम्ब से दिनांक 4 अक्टूबर 2010 को प्रस्तुत किया गया. उन्होंने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि निर्वाचन अधिकारी मुंगेली के कार्यालय में दिनांक 24 दिसम्बर 2009 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया था. निर्वाचन व्ययों का लेखा इसके पश्चात् ही जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.) को प्रस्तुत किया जाना था. निर्वाचन अधिकारी मुंगेली को दिनांक 24 दिसम्बर 2009 को निर्वाचन व्यय लेखा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया होगा. जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.) बिलासपुर ने भी अपने अभिमत में अभ्यर्थी के इस कथन को सही नहीं बताया कि त्रुटि सुधार हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर त्रुटि सुधार कर निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया. निर्वाचन व्यय लेखा में 25 दिसम्बर 2009 से लेकर 27 दिसम्बर 2009 में उपगत व्ययों के लेखे की प्रविष्टि भी नहीं रही होगी. अत: अभ्यर्थी का जवाब समाधानकारक नहीं माना जा सकता.

8. उपरोक्त कंडिकाओं में की गई विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिका परिषद् मुंगेली के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों राजमन सिंह एवं हरिकपूर सिंह ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया. यद्यपि अभ्यर्थियों राजमन सिंह एवं हरिकपूर सिंह द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से क्रमश: दिनांक 29 जनवरी 2010 तथा 4 अक्टूबर 2010 को प्रस्तुत किया गया है लेकिन उससे अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण राजमन सिंह एवं हरिकपूर सिंह प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त दोनों अभ्यर्थियों राजमन सिंह एवं हरिकपूर सिंह द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष पांच माह की कालावधि के लिये नगर पालिका परिषद् का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 16 मई 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190-अ]		रायपुर, शुक्रवार दिनांक 27 मई 2011—ज्येष्ठ 6, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 28 मई 2011

क्रमांक एफ-01/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2011/762.—दिनांक 27 मई, 2011 को नगरपालिका परिषद् बीरगांव, जिला-रायपुर, छ.ग. के 02 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-1/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2011

1. फिरंता देवांगन, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2010 नगरपालिका परिषद्, बीरगांव, जिला-रायपुर, छ. ग.

2. शत्रुहनलाल साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2010 नगरपालिका परिषद्, बीरगांव, जिला-रायपुर, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 27 मई, 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 29 जनवरी 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् बीरगांव के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2010 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2010 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 29 जनवरी 2011 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपालिका परिषद् बीरगांव के आम निर्वाचन 2010 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों फिरंता देवांगन एवं शत्रुहनलाल साहू द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2010 के पश्चात् निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी 2011 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त अभ्यर्थियों फिरंता देवांगन एवं शत्रुहनलाल साहू को दिनांक 2 अप्रैल 2011 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 9 अप्रैल 2011 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों फिरंता देवांगन एवं शत्रुहनलाल साहू को विधिवत् तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा अपना जवाब न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त प्रस्तुत किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थियों फिरंता देवांगन एवं शत्रुहनलाल साहू को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों फिरंता देवांगन एवं शत्रुहनलाल साहू ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम को घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण

एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 24 जनवरी 2011 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) रायपुर द्वारा प्रतिवेदन में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी 2011 होना दर्शाया गया है.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) रायपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् बीरगांव के आम निर्वाचन 2010 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों फिरंता देवांगन एवं शत्रुहनलाल साहू ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण फिरंता देवांगन एवं शत्रुहनलाल साहू प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों फिरंता देवांगन एवं शत्रुहनलाल साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उसे इस आदेश की तारीख से चार वर्ष ग्यारह माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 27 मई 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.